FORM NO. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अति० जिला कलक्टर मुकाम नीमकाथाना

हनीफ खान बनाम नायब तहसीलदार

किस्म मुकदमा अपील नम्बर 24 वर्ष 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/4/22	रिपोर्ट सरिश्ता होकर अपील अपीलान्ट पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कि जाकर नोटिस बनाम रेस्पो० जारी होकर पत्रावली दिनांक 5/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) (अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)	
	5/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उप०। रेस्पो० कि ओर से रीडर नायब तहसीलदार नीमकाथाना उप०। बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बताया कि अपील द्वारा भूमि ख० नं० 2774 रकबा 1.48 हे मे से 0.03 हे० भूमि पर मकान निर्माण कर अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा भूमि ख.न. 2774 रकबा 1.48 हे में से 0.03 हे पर मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण नही किया गया। पटवारी हल्का द्वारा [illegible] अतिक्रमण कि गई भूमि का नाप भी न[illegible] किया है। अपीलान्ट द्वारा अधि[illegible] जबाब व दस्तावेज[illegible] निर्णय में कोई उल्लेख नही किया गया। इस प्रकार जो निर्णय पारित किया गया है जो न्यायिक सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण पारित आदेश निरस्तनीय है। (हस्ताक्षर)	

(अनिल कुमार) अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:40 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट द्वारा कोई नया निर्माण नहीं किया गया है। जो निर्माण है वो लगभग 60-70 वर्ष पुराना है। ग्राम पंचायत के गठन से पूर्व का निर्माण है। विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। वहाँ चारो ओर आबादी बसी हुई है। वर्ष 2022 में संशोधन विधेयक 23-3-2022 में राजस्थान विधान सभा में पारित किया गया है। जिसमें यह भी स्पष्ट किया है कि नदी नाले व पानी के बहाव क्षेत्र व मन्दिर माफी की जमीन को छोडकर अन्य बसी हुई कालोनी व आबादी में 31-12-2021 तक विकसित हो चुकी कालोनीयो के पट्टे दिये जा सकेगें। सुप्रिम कोर्ट की तीन जजो की बैंच ने लिमिटेशन एक्ट 1963 के अन्तर्गत व्याख्या की है कि निजी अचल सम्पति पर लिमिटेशन परिसीमा की वैधानिक अवधि 12 साल है। जबकि सरकारी अचल सम्पति के मामले में 30 वर्ष है। चारागाह भूमि मे करीब से जो मकान बनाये हुए है जिनका 28-1-2011 के निर्णय के आदेश अनुसार चारागाह में बसे व्यक्तियो के पट्टे बनाने सम्बधित राज० सरकार व राजस्व मण्डल अजमेर की गाईड लाईन के अनुसार चारागाह में बसी आबादी क्षेत्र के काबासीय मकानो को वहाँ से नही हटाकर वहाँ के पट्टे जारी किये जावेगे। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-2022 को अपास्त फरमाया जावें।

रेस्पो० द्वारा अपील से सम्बंधित मूल पत्रावली पेश कि गई जो शामिल पत्रावली की गई। वकील अपीलान्ट कि बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि पटवारी हल्का [illegible] द्वारा धारा 91 L.R. Act कि रिपोर्ट [illegible] की गई जिसमे भूमि ख० न० 2774 रकबा 1.48 हे० किस्म चारागाह में अपीलान्ट द्वारा 0.03 हे० पर अतिक्रमण करना बताया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:40 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

अज अदालत..................मुकाम..................

..................बनाम..................

किस्म मुकदमा..................नम्बर 24 ....वर्ष 22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे नोटिस का जवाब व दस्तावेज पेश किये जो पत्रावली में शामिल है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में इनका स्पष्ट उल्लेख नही किया है। रिपोर्ट जो पटवारी हल्का द्वारा पेश कि गई उसके अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि रिपोर्ट के पिछे जो नजरी नक्शा बनाया है उसमे माप नही लिख रखा है। एवं ना ही अतिक्रमण कहा व कितने रकबे पर कर रखा है वो भी नजरी नक्शा में नही है तथा ना ही चारो तरफ का नाप अंकित कर रखा है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट ने जो तथ्य अपील में अंकित किये है वो साबित होते है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा जो धारा 91 कि रिपोर्ट पेश कि गई है जो मौके पर जाकर तैयार नही कि गई है। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट वास्तविक तथ्यो के विपरीत पेश कि गई है। जिसमे अतिक्रमित रकबे की दिशाओ का नाप जोरव भी नही लिखा गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय 21-3-2022 को जो निर्णय पारित किया गया है पूर्व [illegible] किये बिना ही किया [illegible] न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपील मे जो तथ्य अंकित किये है उनकी पुष्टि होती है।	

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:40 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

24|2022

तथा प्रस्तुत अपील को बल मिलता है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट साबित होने से स्वीकार की जाती है। तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-3-22 अपास्त किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना को इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अतिक्रमित रकबे की मौके पर जाकर रिपोर्ट मौका फर्द मय नजरी नक्शा जिसमें चारो दिशाओ का सही नाप जोख लिखा जाकर अपीलान्ट को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। पालना हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 10:45:40 IST
Reason: SelfAttested